प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.05.2025

- **अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा आपराधिक न्यासभंग से सम्बन्धित 01 नफर नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0222/2024 धारा 409 भा0द0वि0 में वांछित था, अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 31.05.2024 को थाना रसूलाबाद पर मुकदमा वादी श्री धनप्राप्त यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी रसूलाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि मुकेश सिंह (प्रधान) व दीपक त्रिपाठी तत्कालीन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत नौहा नौगांव में कराये गये कार्यों में मु0 299570.00 रुपये की शासकीय धनराशि का दुरुपयोग/गबन के दोषी पाये गये हैं, के सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 0222/2024 धारा 409 भा0द0वि0 बनाम 02 नफर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र सियाराम उम्र करीब 36 वर्ष निवासी नौहानौगांव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 19.05.2025 को समय 10.45 बजे, बिषधन रोड चित्ता निवादा मोड़ के पास, थाना रसूलाबाद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्त दीपक त्रिपाठी तत्कालीन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी की शीघ्र गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

मुकेश कुमार पुत्र सियाराम उम्र करीब 36 वर्ष निवासी नौहानौगांव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अमित पोरवाल
2. हे0का0 229 मोहित यादव